"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2006—श्रावण 13, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं डोमेन्द्र सिंह आत्मज श्री लेखराम वर्मा, आयु 21 वर्ष, निवासी-ग्राम-जाटादाह, पोस्ट सहगांव, तहसील डौण्डी लोहारा, जिला दुर्ग, छ. ग. का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अभिषेक कुमार वर्मा आत्मज श्री लेखराम वर्मा रख लिया हूं तथा जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पथ प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अभिषेक कुमार वर्मा आत्मज श्री लेखराम वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
डोमेन्द्र सिंह आत्मज-श्री लेखराम वर्मा निवासी- ग्राम-जाटादाह, पोस्ट-सहगांव तहसील-डौण्डीलोहारा जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अभिषेक कुमार वर्मा आत्मज-श्री लेखराम वर्मा निवासी- ग्राम-जाटादाह, पोस्ट-सहगांव तहसील-डौण्डीलोहारा जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नारायण प्रसाद आत्मज श्री अमृतलाल बाजपेयी, उम्र 35 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 13 ए, सड़क-10, सेक्टर-1 भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग, छ. ग. का हूं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र में धमन भट्टी (मैकेनिकल मेन्टनेन्स) में टेक्नीशियन (ग्रेड-एस 5) में पदस्थ हूं. मैं अपने नाम के साथ उपनाम जोड़कर अपना नाम नारायण प्रसाद बाजपेयी रख लिया हूं जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे नारायण प्रसाद बाजपेयी आत्मज श्री अमृतलाल बाजपेयी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
नारायण प्रसाद आत्मज-श्री अमृतलाल बाजपेयी निवासी-क्वा. नं. 13ए, सड़क-10, सेक्टर 1, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	नारायण प्रसाद बाजपेयी आत्मज-श्री अमृतलाल बाजपेयी निवासी-क्वा. नं. 13ए, सड़क-10, सेक्टर 1, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2006

पंजीयक, लोक न्यास, बिलासपुर जिले के समक्ष

क्रमांक 324/अ. वि. अ./वा-1/06.—चूंकि राजेश गोयल ट्रस्टी श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट बिलासपुर छ. ग. ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28-8-06 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति को उक्त न्यास का संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं पंजीयक, लोक न्यास बिलासपुर, लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 28-8-06 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट, मसानगंज बिलासपुर
(2)	चल सम्पत्ति	:	बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक में खाता क्रमांक 22623 में 4,00,000=00 रुपये नगद राशि. (चार लाख रुपये मात्र)
(3)	अचल सम्पत्ति	:	निरंक

संजय अग्रवाल,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, जिला उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं अंबिकापुर, सरगुजा

अंबिकापुर, दिनांक 4 अगस्त 2006

क्रमांक/परिसमापन/670.—कालरी कर्मचारी सहकारी उप. भंडार मर्यादित भटगांव पं. क्र. 1542 की छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत श्री पी. एल. साहू सहकारिता विस्तार अधिकारी/सह. उप-अंकेक्षक सूरजपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापक द्वारा परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं तत्संबंधी अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है.

अत: मैं एच. एल. नायक, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, अंबिकापुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-7-5/सह./2436 पुनर्गठन अधि./2000, रायपुर, दिनांक 13 जून 2001 द्वारा पठित छ. ग. सहकारी समितियां, अधिनियम 1960 क्रमांक (7) की धारा 18 (1) के तहत कालरी कर्म. सह. उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित भटगांव पंजीयन क्रमांक 1542 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 21-07-06 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एच. एल. नायक,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.